

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आर्द0एल0आर0
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

गीधल

कैजरीपुरा के खाता नं 42 में श्रीमान जी. पं. ट. गीधल के राजस्व ग्राम
है, सलान दातावेजी के आधार पर प्रार्थी का मातुराम पुं बुराराम गलत दर्ज
बुराराम शुद्ध निम्नलिखित दातावेजी उदयपुरवाटी गुदागौड़जी है।

क्रमांक - राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी गौड़जी उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि; आवेदन पत्र में वर्णित मातुराम पुं बुराराम का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/संशोधित किया जावे कि नाम दुरुस्त किया जाने की अभिगमा की जाती है।
प्रमाण पत्रावत संलग्न

तहसीलदार, उदयपुरवाटी, गुदागौड़जी
गौड़जी

2398
2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंसुनू (राज.)
-- आदेश :-

दिनांक :- 3-1-2022

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दातावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी-सम्बत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	कैजरीपुरा	2075-78	42	मातुराम पुं बुराराम	मातुराम पुं बुराराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 3-1-2022

क्रमांक :- राजस्व/2020/1913-14

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner

